न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

(11)

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

म अपील संख्या 277/2022

विनोद कुमार ढण्ड पुत्र बनवारीलाल ढण्ड, जाति ब्राह्मण, निवासी खेडी मौहल्ला, वार्ड नं0 17, बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (तहसीलदार) झुंझुनूं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 24.08.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 03.08.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 277/2022 पर दिनांक 03.08.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/4134–35 दिनांक 03.08.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1808 दिनांक 23.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विनोद कुमार ढण्ड पुत्र बनवारीलाल ढण्ड, जाति ब्राह्मण, निवासी खेडी मौहल्ला, वार्ड नं0 17, बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं द्वारा नगरपालिका बगड के बाईपास हाईवे NH-11 बगड बाईपास पर बिना रूपान्तरण के प्लाट काट के बेचे जा रहे है उस पर क्या कार्यवाही की गई की रिपोर्ट चाही गई थी परन्तु आवेदक द्वारा खातेदार का नाम व किस खसरा नं0 मे कौनसी कॉलोनी काटी जा रही है आदि अंकित नही किए है। जिसकी सूचना प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय के पत्र कमांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1786 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1808 दिनांक 23.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विनोद कुमार ढण्ड पुत्र बनवारीलाल ढण्ड, जाति ब्राह्मण, निवासी खेडी मौहल्ला, वार्ड नं0 17, बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं द्वारा नगरपालिका बगड के बाईपास हाईवे NH-11 बगड बाईपास पर बिना रूपान्तरण के प्लाट काट के बेचे जा रहे है उस पर क्या कार्यवाही की गई की रिपोर्ट चाही गई थी परन्तु आवेदक द्वारा खातेदार का नाम व किस खसरा नं0 मे कौनसी कॉलोनी काटी जा रही है आदि अंकित नही किए है। जिसकी सूचना प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय के पत्र कमांक रीडर/आर0टी0आई0/2022/1786 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के कम मे खातेदार का नाम, खसरा नं0 व कॉलोनी का नाम अंकित नही किया है जिसके कारण अपीलार्थी को सूचना दिया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। अपीलार्थी पुनः नये सिरे से आवेदन कर खातेदार का नाम, खसरा नं0 व कॉलोनी का नाम अंकित कर सूचना प्राप्त कर सकता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.06 16:37:17 IST
Reason: SelfAttested

(एल.एस.कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं